पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	579–583	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	617–634	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	131–145	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन अनुभाग–1

स्थानान्तरण/तैनाती आदेश

27 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 476/GEN/X-1-2022-14(22)/2021–श्री राहुल (भा0व0से0–उत्तराखण्ड संवर्ग), मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल को तत्काल प्रभाव से उनकी वर्तमान तैनाती निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल के पदभार से अवमुक्त करते हुये प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

30 मई, 2022 ई0

संख्या 649/XVII-B-1/2022-04(03)/2021 टी.सी.–केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–14 की उपधारा (9) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या–1543/XVII–3/16–07(37–वक्फ बोर्ड)/2015, दिनांक 25.10.2016 द्वारा गठित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का धारा–15 के प्रावधानानुसार 05 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.10.2021 को समाप्त हो जाने के उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या–2012/XVII-B-1/2021-04(03)/2021, दिनांक 28.10.2021 के द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–99 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ के विधिवत गठन तक अथवा आगामी 06 माह के लिए, जो भी पहले हो, डा. अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को बोर्ड की समस्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रशासक नामित किया गया था।

2– चूंकि वर्तमान में शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के द्वारा नामित प्रशासक का 06 माह का कार्यकाल पूर्ण हो जाने तथा धारा–14 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत गठन की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–99 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु, बोर्ड के विधिवत गठन तक अथवा आगामी 06 माह के लिए, जो भी पहले हो, डा. अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को बोर्ड की समस्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पुनः प्रशासक नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एल. फैनई,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

19 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 343/XIII-1/2022-01(01)2016–उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'क' सेवा नियमावली, 1991 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में विहित व्यवस्थाओं के आलोक में विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी–1 के अन्तर्गत उप निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण वेतनमान 15,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600/– में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के पद पर वेतनमान रू0 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन रू0 7600 (पुनरीक्षित वेतन लेवल–12, वेतनमान–रू0 78800–209200) में पदोन्नति प्रदान करते हुए दो वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– डा0 बृजेश कुमार गुप्ता

2– डा0 सुरेश राम

2– उपरोक्तानुसार प्रोन्नत संयुक्त निदेशकों के तैनाती आदेश उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–18 में विहित व्यवस्थानुसार पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3– उक्त आदेश मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका सं0–129/डीबी/2021 शिव कुमार सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

4– उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय उत्तराखण्ड में ग्रहण करते हुए अपनी योगदान आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय ज्ञाप

22 अप्रैल, 2022 ई0

संख्या 400/XLI-B-1/2022-36(प्रशि0)/2021–कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के पद पर कार्यरत श्री जगप्रीतम टम्टा की नियमित चयनोपरान्त प्रधानाचार्य श्रेणी–1, वेतनमान 15600–39100 पे–मैट्रिक्स लेवल–11 में दो रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति करते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर में तैनाती किये जाने के साथ–साथ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– श्री जगप्रीतम टम्टा को अतिरिक्त प्रभार के कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

3– श्री टम्टा को पदोन्नति के फलस्वरूप, प्रधानाचार्य श्रेणी–1 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,
सचिव।

श्रम विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 मई, 2022 ई0

संख्या 1/32684/VIII-1/22-782(श्रम)2003—श्री अरविन्द कुमार नागयान, सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उप निदेशक, कारखाना/बॉयलर (वेतनमान ₹ 67700—208700, वेतन मैट्रिक्स का स्तर—11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी की तैनाती उप निदेशक, कारखाना/बॉयलर, हल्द्वानी के पद पर की जाती है।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1

अधिसूचना/पदोन्नति

12 मई, 2022 ई0

संख्या 754/XXVIII-1/01(76)2006—एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 सवंर्ग के अन्तर्गत निदेशक के पद पर कार्यरत डा0 शैलजा भट्ट को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के पद पर वेतनमान—₹ 182200—224100, पे मैट्रिक्स—16 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

राधिका झा,
सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग—02

कार्यालय ज्ञाप

17 मई, 2022 ई0

संख्या 334/XXIV-C-2/2022-23(06)2014—एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार भावर, जनपद पौड़ी गढ़वाल का नाम "राजकीय महाविद्यालय, कण्वघाटी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

कार्यालय–ज्ञाप

20 मई, 2022 ई0

संख्या 36126/XXVIII-4-2022-12(घो0)/2021–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–1240/2021 के अनुपालन में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाईप–ए, नन्दप्रयाग का नाम निम्नवत् परिवर्तित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

घोषणा संख्या	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
1240/2021 दिनांक 08.11.2021	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाईप–ए, नन्दप्रयाग, जनपद चमोली।	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 राम प्रसाद बहुगुणा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाईप–ए, नन्दप्रयाग, जनपद चमोली।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/366–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 18, 2022

No. 166/XIV/a-41/Admin.A/2013--Shri Sushil Tomar, 1st Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 06.01.2022 to 20.01.2022.

NOTIFICATION

May 19, 2022

No. 167/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 25.04.2022 to 13.05.2022 with permission to prefix 24.04.2022 as Sunday holiday and suffix 14.05.2022, 15.05.2022 as second Saturday & Sunday and 16.05.2022 as Buddha Purnima holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 24th, 2022

No. 170/UHC/Stationery/2022--High Court of Uttarakhand has been pleased to declare holiday on 31.05.2022 (Tuesday) in the District & Sessions Court at Champawat and Outlying Court at Tanakpur falling under the 55 - Champawat Legislative Assembly Constituency on account of Legislative Assembly Bye-Election pursuant to the Government Notification no. /xxxi(15)G/22-10(सा0)/2017 dt. 12.05.2022, issued under section 25 of The Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1881).

By Order of the Court,
Sd/-
I/c Registrar General.

चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1523/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती सन्तोष चन्द्र,
(Smt. Santosh Chandra)
C/O Shri Faquir Ram
House No.- ALL Saints College, Tallital,
City- Nainital, Pin- 263002
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।

4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगेः–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1522/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती ममता रानी,
(Smt. Mamta Rani)
C/O Shri Narendra Kumar
House No.- 46, Village- Chauli Shahbuddinpur,
Post- Khubbanpur, District:- Haridwar, Pin- 247661
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अंवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1521/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री अतुल कान्त,
(Shri Atul Kant)
C/O Shri Anil Kumar Shah
House No.- 277, Shanti Vihar, Raipur Road,
City:- Dehradun, Pin- 248001, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1520/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती तनुजा रावत धर्मसक्तु,
(Smt. Tanuja Rawat Dharamshktu),
C/O Mr. Raghunath S Rawat, New Indra Colony,
Locality- Khatyari, District:- Almora,
Pin- 263601, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400–रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1519/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री अरूण कुमार,
(Shri Arun Kumar),
S/O Late Shri Kishan Lal,
House No- 501, Type-1, G.D.M.C Campus,
Locality- Patelnagar, Dehradun, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400–रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता कम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1518/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री जतिन सिंह कहेड़ा,
(Shri Jatin Singh Kahera),
S/O Shri Surendra Singh Kahera,
House No.- 100/1, Lane No.-2, Chaman Vihar, Locality- Niranjanpur
District:- Dehradun, Pin- 248001, State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400–रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1517/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्री दीप चन्द्र,
(Shri Deep Chandra)
C/O Shri Mohan Lal
Village- Kool, Post Office- Pyura
Dist- Nainital, Pin- 263138
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोड़ा** में **मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।

2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।
   ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।
   iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।
   iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
   v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
   vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।
   vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।
   viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।
10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।
11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

नियुक्ति आदेश

19 मई, 2022 ई0

पत्रांक संख्या 1516/चि0शि0/03(मेडिकल)/70/2018/एम0एस0डब्ल्यू–

श्रीमती उमा कुमारी गुंसाई,
(Smt. Uma Kumari Gusain)
C/O Shri Govind Singh Gusain
House No- Meera Nager Gali No.- 3,
Locality- Virbhadra,
City:- Rishikesh, District:- Dehradun, Pin- 249202
State:- Uttarakhand

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग के अन्तर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर आपको **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर)** के पद पर **वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400** में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या/सूचना प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्र संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगा। वांछित प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा योगदान कराया जायेगा।
2. संबंधित राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी के स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण – पत्रों को मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।
3. अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होंगे। जिसका परीक्षण संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरण सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सन्दर्भित किये जायेंगे, जिस पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जायेगा।
4. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर कार्यरत होने पर अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स (लेवल–6) वेतन रू0 35,400 – रू0 1,12,400 के अनुसार वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. अभ्यर्थी 01 माह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि के भीतर अभ्यर्थी अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
7. नवनियुक्त अभ्यर्थी उत्तराखण्ड कार्मिक आचरण नियमावली से बाधित रहेंगे तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को प्रस्तुत करने होंगे:–
   i. स्वयं के विरूद्ध पूर्व में कभी भी अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

ii. अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे की उनके द्वारा नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख सही हैं, यदि अभिलेख उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।

iii. स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 01 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां।

iv. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।

v. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

vi. चल तथा अचल सम्पत्ति का विवरण।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का शपथ – पत्र।

viii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।

9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग में चयनित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली – 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है। नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते है।

11. नवनियुक्त मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साईकेट्री वर्कर) की सेवा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

डा0 आशुतोष सयाना,
अपर निदेशक।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

23 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1567/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UPE6312 (HGV) मॉडल 1978 चैचिस 74VFJ4277 इंजन न0 B10550SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी चन्द्र शेखर पाण्डेय पुत्र श्री भूपाल चन्द्र पाण्डेय निवासी–वार्ड नम्बर 1 शारदा चुंगी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 23.04.2022 को वाहन संख्या UPE6312 (HGV) मॉडल 1978 चैचिस 74VFJ4277 इंजन न0 B10550SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1579/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK03TA0514 (TAXI CAB) मॉडल 2012 चैचिस MA3EAA61S002054465 इंजन न0 F8DN4830419 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री प्रकाश चन्द्र जोशी पुत्र श्री उर्वादत्त जोशी निवासी–पीलीभीत चुंगी पोस्ट–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 28/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UK03TA0514 (TAXI CAB) मॉडल 2012 चैचिस MA3EAA61S002054465 इंजन न0 F8DN4830419 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1581/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP291248 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 80VEJ22577P इंजन न0 B27537SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन गुरुचरन दास खुल्लर पुत्र श्री करनाथ निवासी–पिथौरागढ़ रोड, टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 05/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UP291248 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 80VEJ22577P इंजन न0 B27537SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1587/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK035835 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 92DVF463717 इंजन न0 B716173SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री रजनीश कुमार सिह पुत्र श्री बसन्त सिंह निवासी–शारदा चुंगी, टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UK035835 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 92DVF463717 इंजन न0 B716173SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1588/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA015199 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 373145KUZ135503 इंजन न0 697TC56KUZ134610 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन महेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी–मकान संख्या 01 रायकोट कुंवर लोहाघाट जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UA015199 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 373145KUZ135503 इंजन न0 697TC56KUZ134610 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1589/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या USX6145 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस VPJS1744 इंजन न0 A0681SSVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी श्रीमती लक्ष्मी पाण्डेय पत्नी श्री भूपाल चन्द पाण्डेय निवासी–वार्ड नम्बर 01 शारदा घाट टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या USX6145 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस VPJS1744 इंजन न0 A0681SSVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1590/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या USR-9506 (HGV) मॉडल 1983 चैचिस 3092AR इंजन न0 101362144 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जय सिंह पुत्र श्री जमना प्रसाद निवासी–मकान संख्या 81 घसियारामण्डी वार्ड नम्बर 06 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या USR-9506 (HGV) मॉडल 1983 चैचिस 3092AR इंजन न0 101362144 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1617/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UGP-4617 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 77VFJ7860P इंजन न0 B14758SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री गुमान सिंह पुत्र श्री माधो सिंह निवासी–मकान संख्या 04 ग्राम–डोलाकाण्डे पोस्ट एण्ड तहसील चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या UGP-4617 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 77VFJ7860P इंजन न0 B14758SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1618/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या RJ10G0201 (HGV) मॉडल 1983 चैचिस 83VFJ29999P इंजन न0 B35405SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती नीलम पाल पत्नी श्री जय सिंह निवासी–मकान संख्या 80 घसियारा मण्डी वार्ड नम्बर 06 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/03/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.04.2022 को वाहन संख्या RJ10G0201 (HGV) मॉडल 1983 चैचिस 83VFJ29999P इंजन न0 B35405SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1620/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UTF9674 (HGV) मॉडल 1981 चैचिस VPJ6622E इंजन न0 107640SA इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री कमल किशोर पुत्र श्री चुड़ामणी निवासी–ग्राम–आमबाग पोस्ट टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.04.2022 को वाहन संख्या UTF9674 (HGV) मॉडल 1981 चैचिस VPJ6622E इंजन न0 107640SA को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1621/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA035070 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस 73A40020 इंजन न0 GF64M33005 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री अशोक सिंह फर्त्याल पुत्र श्री महेश सिंह निवासी–ग्राम–कलचौड़ा पोस्ट–कर्णकरायत जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 11/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.04.2022 को वाहन संख्या UA035070 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस 73A40020 इंजन न0 GF64M33005 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

26 अप्रैल, 2022 ई0

पत्रांकः–1580/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या RJ07G5224 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 93VFJ64806 इंजन न0 59806SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री नागर मल निवासी–वार्ड नम्बर 02 चन्द कालोनी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/04/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का चेचिस निरस्त कर कार्यालय में जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 26.04.2022 को वाहन संख्या RJ07G5224 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 93VFJ64806 इंजन न0 59806SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/366–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2022 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सार्वजनिक सूचना

23 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या–129/फीकल स्लज उपविधि/2021–22–नगर पंचायत, सतपुली जनपद–पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में तथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, सतपुली द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2021" बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाश्न की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

(1)- यह उप नियम नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय उपनियम-2020" कहलायेगा।

(2)- यह उप नियम नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2- यह उप नियम नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1- प्रसंग:

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबन्धन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1- राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति:

इस पहलू को सम्बोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्ररबन्ध नीति वर्ष-2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे, जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही साथ फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनकि स्वस्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जाये।

1.2- उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश संख्या-10/2015 दिनांक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये हैं, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेंसी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित करने के लिये कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये और इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर निकाय की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975/नगर पालिका

अधिनियम, 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होंने एक प्रोटोकाल सेप्टेज प्रबन्ध के लिये तैयार किया है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या-597/आई वी(2)-श0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 राज्य का सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबन्ध बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकॉल के हैं कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे आपने सेप्टेज प्रबन्ध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये और आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड), जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2- नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध का नियमितिकरण:

सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या-597/ आई वी(2)-ष0वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि सन्दर्भित है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है।

3- उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत है:

1- निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन, इलाज और सुरक्षित रख-रखाव, जो कि स्लज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देषों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3- उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज के और सेप्टेज प्रबन्ध के उचित प्रबन्ध हेतु है।

5- निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहभागी की सुविधा देना।

4- एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1- सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुंच गया है। या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो काई भी पहले आवे।

जबकि स्लज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2- सेप्टेज/फीकल स्लज परिवहन:

1- फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय≤समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2- फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वाश्न देंगे कि:

अ- पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु, जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल स्लज और सेप्टेज के सुरक्षा हेतु ताला बन्द रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे।

ब- कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3- सेप्टेज का निष्पादन और इलाज:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक नगर का अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अन्तर्गत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5- सुरक्षा उपाय:

1- उचित तकनीकी संयंत्र, सुरक्षा दिवार का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकॉल 2017 में वर्णित है।

2- फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करें कि:

अ- समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी गेयर और यंत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन लोपस, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आँखों की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियंत्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब- समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स- समस्त मल निस्ताण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द- प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और आग बुझाने वाला मल निस्तरण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य- धूम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित है।

र- मल निस्तरण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे जो कि इस कार्य को शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल- बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रहे।कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो, जो कि ढक्कन पर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हाल का आच्छादन छूटने से बचा रहे।

6- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1- नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट अपशिष्ट-ए, 2 में संलग्न है।

6.2- कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टर व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉल में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ- प्रारंभिक पंजीकरण - 1000.00

ब- नवीनीकरण - 1000.00

स- नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन -500.00

-अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार-

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढैंगी)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है उसमें अन्तर आ सकता है।

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय≤समय पर दर्शाया गया है, जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2- इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्काशन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3- निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय≤समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अन्तर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्टेज के निष्काशन हेतु।

7.4- उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ- उपभोक्ता लागत को प्रत्यक्ष रूप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकाय कोष में जमा किया जायेगा। उपभोक्ता लागत सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से वसूली की जायेगी।

ब- निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अन्तर्गत फीकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी, जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सलज एवं सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीज अनुबन्धित होगी, जो यह अधिकार देगा कि वह

स- उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना पड़ेगा।

सारणी-2: उपभोक्ता लागत:

क्र0 सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं षौचालय गड्ढे के हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक00 बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भाग पहले भरा हो	50
2	अन्य समस्त मकान	3000		100
3	दुकान	2500		125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	3500		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरेंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरें	5000		250
9	होटल अतिथि गृह 11-20 कमरे	4000		250
10	होटल अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मशाला 1-25 कमरें	3500		625
12	धर्मशाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल/कालेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/ कालेज	2500		500
17	[illegible]	2000		625

18	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2500		500
19	सिनेमा हाल	3500		625
20	होटल 0-20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हाल/बैंकेट हाल	3500		1100
24	बार	2500		625
25	सरकारी अस्पताल	4000		625
26	नर्सिंग होम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैंब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 बिस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 बिस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500

नोट:

1- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृत नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

2- मूल निस्तारण विशेष समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा स्वीकृत है)।

3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढायी जायेगी।

8- मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1- कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2- मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में जमा होगी।

नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के अपने क्षेत्र के

8.4- अवचेतना कार्यक्रम समयऽसमय पर चलायी जायेगी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9-दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सलज का एकत्री न करना और सेप्टेज इलाज प्लांट का/आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी-3 दंड:

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्श में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	50000	
4	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

सुशील बहुगुणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

अंजना वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, सतपुली,
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय–नगर पंचायत घनसाली, टिहरी गढ़वाल

21 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या–180/सै0मैने0/उपविधि/प्रकाशन/2021–22–नगर पंचायत घनसाली टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा 2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत घनसाली टिहरी गढ़वाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 की उपधारा 1(II)(III) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए फेकल सलज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय उप नियम– 2021 बनायी जाती है जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन सामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एंव सुक्षाव प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुक्षाव एंव आपत्ति अधीशासीय अधिकारी नगर पंचायत घनसाली टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुक्षावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः

(1) ये उप-नियम नगर पंचायत घनसाली टिहरी गढवाल फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2021 कहलएगा।

(2) ये उप-नियम नगर पंचायत, घनसाली टिहरी गढवाल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) उप-नियम नगर पंचायत घनसाली टिहरी गढवाल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंधक इन मामलों में / सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/ फेकल सलज सेप्टिक टैंक, गडढे, शौचालय, से पर्यावरण, नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति वर्ष 2017 घोषित की है जिसमे शहर पूर्ण रुप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित सफाई व्यवस्था हो सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकालः

नगर पंचायत घनसाली में उचित प्रबन्ध योजना या प्रटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस

प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानो मे वितरित की जायेगी। जल आपुर्ति एंव सीवरेज अधिनियम 1976/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिए प्रोटोकॉल सेप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या संख्या-597/IV(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22.5.2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल घनसाली शहर को दिग्दर्शन कराना है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/ फेकल सलज का निस्तारण और पुन प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आन्तरिक विभागीय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0 जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2. नगरिया उप कानून फेकल सजल स्टेप्स प्रबंधन का नियमितीकरण-

सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या-597/IV(2)-श0वि0-2017-50(सा0)/16 दिनांक 22.5.2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत घनसाली नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्रित करने परिवहन और सेप्टेज/ फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल फेकल सलज एवं सेप्टेज जी..प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो यहां स्वीकृत किया गया है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत घनसाली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र-

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र निम्नवत है-

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रख-रखाव और शौचालय के गड्ढे परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि सलज और सेप्टेज से संबंधित है।

2.क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशत करना जो की सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से संबंधित है ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।

3.उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4.लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।

निजी और गैर सरकारी क्षेत्र में फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण परिवहन इलाज सेप्टेज के खुद-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना-

4.1 सेप्टिक टैंक और सेफ्टेज/ फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करना-

सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना जो की गहराई में पहुंच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आवे जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना। मैकेनिक़ल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत घनसाली की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय मे ईकाई न होने के कारण सॅप्टेज को निकाय से 60 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखन्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतू एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतू भी कार्ययोजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे ।

5. सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा । फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स , रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा । इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यत्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे । जब सेफ्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा ।

2 मल निस्तारण कार्यकर्ता सेफ्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा । बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा , एवम टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का डक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 मे जमा किया जायेगा

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः–

पंचायत क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आश्य की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर–प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त पंचायत से सुपरवाईजर को भेज कर जॉच करवायेगे। इसके अलावा नगर पंचायत मे सेप्टिक टैंक को खाली कराने के ओवदन के आने पर नगर पंचायत धनसाली द्वारा जॉच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टेंकर के चक्कर लगेगे । तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1:—पंचायत के सीवर टैकर की क्षमता	5000 लीटर
2—पंचायत सीमा के भीतर	रू0 15000/— प्रति फेरा,तथा रू01000/— STP शुल्क , कुल रू0 16000/— भवन स्वामी पंचायत मे शुल्क जमा करेगा, सैप्टिंक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेरे की स्थिति होने के कारण सम्बंधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/—रू0 की छूट प्रदान की जायेगी ।
3:— पंचायत सीमा के बाहर	रू0 15000/— प्रति फेरा,तथा रू01000/— STP शुल्क एवम रू0 500/ प्रति किमी भवन स्वामी पंचायत मे शुल्क जमा करेगा।सैप्टिक टेक में ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने केकारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन दूसरे फेरे में 2000/—रू0 —की छूट प्रदान की जायेगी

4:—पंचायत द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिंक टैंक ज्यादा ही छोट है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिंक टैंक मे 5000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा , उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत कीर्तिनगर मे जमा की जायेगी ।

8.3 यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय—समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतू प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर. एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र मेंखाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0 एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

समिति के सदस्य — हस्ताक्षर

1—सहा0 अधि0 अभियन्ता पेयजल निगम घनसाली—
2— अधि0 अभियन्ता, जल संस्थान घनसाली—
3— क्षेत्रीय वनाधिकारी, घनसाली—
4— प्रभारी चिकित्सक, प्रा0स्वा0केन्द्र पिलखी—

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी/सचिव,
नगर पंचायत घनसाली।

ह0 (अस्पष्ट)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,
घनसाली टि0ग0।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/366—भाग 8—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।